न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 18/2024

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1 मंगाराम पुत्र बींजाराम 2 माधाराम पुत्र मंगाराम जातियान जाट निवासीगण जसवंतपुरा (नागडी) तहसील खींवसर जिला नागौर।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खींवसर जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 02.12.2024

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 74/2023 सरकार बनाम मंगाराम व अन्य में निर्णय दिनांक 28.03.2024 के तहत मौजा अखावास की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 09.04.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 29.04.2024 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट्स द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 74/23 की पत्रावली की प्रमाणित फोटोप्रति पेश की।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व जवाब के तथ्यों पर गंभीरता से विचार किये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्वान्तों के विपरीत जाकर निर्णय जैर अपील पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)– वादग्रस्त खसरा नम्बर 222 गैर मु. मगरा के संबंध में धारा 91 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत तहसीलदार खींवसर द्वारा दिये गये नोटिस के जवाब में अपीलांट संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रकट किया की उसका खसरा नम्बर 222 पर कोई कब्जा नहीं है, उसका मकान व ट्यूबवेल उसकी कब्जे कास्त व खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 221 के सह खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 227 में बने हुए है। पटवारी हल्का ने मिथ्या एकतरफा रिपोर्ट तैयार की है। मोहनराम के कहने से खसरा नम्बर 75 में गतल रूप से रास्ता स्वीकृत करवा लिया, जिसकी शिकायत अपीलांट ने की थी व उक्त रास्ते की अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है। इस वजह से मोहनराम के प्रभाव में आकर पटवारी हल्का ने गलत रूप से अपीलांट के विरूद्व अतिक्रमण की मिथ्या रिपोर्ट बनाकर पेश की। अतिक्रमण की उक्त रिपोर्ट दिनांक 14.03.24 तैयार करने से पूर्व अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई इसलिये एकपक्षीय व पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर पारित निर्णय जैरअपील गलत होने से निरस्तनीय है।

{2}(III)–तहसीलदार खींवसर द्वारा जो तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई है वह भी उसी पटवारी हल्का नारवा कलां से मंगवाई है जो विधि अनुसार उचित नहीं है तथा पटवारी हल्का ने दिनांक 28.03.24 को अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट भी अपीलांट की गैर मौजूदगी में उन्हे बिना सूचना दिये बनाई है, जिसको निर्णय का आधार मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने गलती की है।

{2}(IV)– अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व उसके अधिवक्ता को सूनवाई का विधि अनुसार अवसर दिये बिना ही इकतरफा निर्णय दिनांक 28.03.24 को पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के जवाब पर भी विचार नहीं किया, इसलिये निर्णय जैर अपील पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व जवाब से विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना ही व पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही विधि विरूद्व निर्णय जैर अपील पारित कर दिया, जो अपास्त होने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(VI)–पटवारी हल्का के उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई शपथ पत्र/गवाही भी नहीं ली गई तथा न ही अपीलांट को गवाह से जिरह का अवसर दिया गया। इस प्रकार भी उक्त निर्णय जैर अपील अवैध है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट्स द्वारा मौजा अखावास में स्थित गै. मु. मगरा पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट्स को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 74/2023 सरकार बनाम मंगाराम व अन्य में निर्णय दिनांक 28.03.2024 के तहत मौजा अखावास की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट्स के अधिवक्ता का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 14.03.2024 से ज्ञात होता है कि अपीलांट ने मौजा अखावास के खसरा नम्बर 222 किस्म गै. मु. मगरा पर अतिक्रमण किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर